

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0(संशोधन)/ 43 /21, लखनऊ:दिनांक:06, जनवरी-
2021

-संशोधित आदेश-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत युगल पीठ आदेशांक-1919/2020 दिनांक 14.12.2020 में कम्प्यूटर त्रुटिवश कतिपय प्रतियों में झांसी पीठ में दिनांक 11.01.2021 से 14.01.2021 तक गठित युगल पीठ में सदस्य पीठ-1, आगरा व सदस्य पीठ-फैजाबाद को नामित करते हुए आदेश निर्गत किये गये थे। वास्तविक रूप से अन्य प्रतियों में सदस्य पीठ-1, आगरा व सदस्य पीठ-2, आगरा की युगल पीठ झांसी में गठित की गयी थी।

अतः जिन प्रतियों में दिनांक 11.01.2021 से 14.01.2021 तक गठित युगल पीठ झांसी में सदस्य पीठ-फैजाबाद को नामित किया गया है, के स्थान पर सदस्य पीठ-2, आगरा पढा जायें।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जायें।

ह0-06.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ युगल पीठ संशोधन/43 /2021 दिनांक जनवरी उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, व पीठ-2, आगरा व झांसी।
2. प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर पटल) मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।